नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावा स0 157 / 2005

1–श्रीमती प्रेमवती पत्नि भगवानसिह जाति जाटव निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

वदिनी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति रूपवास
2–श्रीमती विमला देवी पत्नि रमेशचन्द्र वैश्य निवासी रूदावल तहसील रूपवास
3– सरपंच ग्राम पंचायत रूदावल

प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

दिनांक 15/5/13

निर्णय

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है वादिनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा ,188 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खन0250 / 1–07,252 / 0–15 बीघा बाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है। वादी ने उक्त विवादित आराजी दिनांक 22.12.10 को उसके खातेदार राधेश्याम पुत्र खुनखुन व विरमा देवी पत्नि खुनखुन जाति वैश्य निवासी रूदावल से जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र खरीदकर उसी रोज मौके पर कब्जाप्राप्त कर लिया है। तभी से वादिनी कामौके व वहैसीयत खातेदार कब्ज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोइ लेना देना नही है। आराजी मुतदाविया वादी के कब्जे काश्त खतेदारी की आराजी है जिसमें हमेशा काश्त होती रही है। लेकिन प्रतिवादी स0 2 जो इस समय ग्राम पंचायत रूदावल की सरपंच है। वादी से रजिंश रखती है। वादी को उसके खातेदारी में नुकसान पहुँचाने पर तुली हुई है। और वादी की आराजी में जबरन कच्ची सड़क डालना चाहती है। जिसकी स्वीकृति भी ले ली गई है। प्रतिवादीगण किसी भी समय मौके पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराने पर तुले हुये हैं प्रतिवादीगण वादी को शान्तीपूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.6.11 को मौके पर जबरन सड़क निम्रण का काय्र कराने के उददेश्य से उनके द्वारा मौके पर सड़क निर्माण के लिये पैमाइस करवाकर सड़क के लिये वादी की आराजी में निशानाता कायम कराये है। लेकिन वादी के विरोध के कारण उस रोज प्रतिवादी विवादित आराजी से वादी को बेदखल नही कर सके । और मौके पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवासके । लेकिन प्रतिवादीगण वादी को यह धमकी दे गये कि आराजी से शीघ्र ही बेदखल कर जबरन कब्जा करेगें । यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

खत्म हो गये तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नहीं की जा सकती है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाइ निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। व ादकरण का कारण दिनांक 17.6.11 को दीये जाने धमकी के कारण पैदा हुआ है। दावा अन्दर म्याद पेश हैं । प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक हैं लेकिन नोटिस की अवधिमें प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन सड़क का निर्माण करा देगें । उस स्थिति में वादी का दावा करने की मंशा समाप्त हो जावेगी अतः प्रतिवादी गण के विरूद्व दावा पेशने से पूर्व धारा 80.2 सीपीसी में पुथक से इजाजत प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है।

अतः दावा वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाइ निषेधज्ञा इस आशय से पावन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा न0 250/1–07,252/0–15 बीघा बाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास के कब्जे काश्त वादी में कोई मदाखलत मजाहमत बेंजा न करें वादी की आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त रने देवे । प्रतिवादीगण विवादित आराजी में किसी भी हिस्से में होकर कच्ची अथवा सड़क का निर्माण नही करावे तथा कोइ ऐसा कार्य नही करे जिससे वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा होती हो ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादपत्र की मद स01,2,3,4,5,6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि वादिनी ने सच्चाइ को छिपाकर प्रार्थनापत्र पेश किया हे । वादिनी के द्वारा तथाकथित खसरा न.250,252 वाके ग्राम रूदावल पूर्व से ही राज सरकार की सम्पति है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा न0 सरकारी जमीन में दर्ज हैं तथा मौके पर सैकड़ो साल पुराना नक्शा मुताबिक दोनो खसरा नम्बरो के मध्य आम रास्ता कायम है। और मौके पर चालू हे। उसी आम रास्ते पर ग्राम पंचायत नरेगा स्कीम आदि से सड़क ग्रेवल डलवाना चहाती है। वादिनी ने गलत आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं वादिनीका नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वह मौके के खिलाफ हे। अतः वादिनी का वाद खारिज किया जावे ।

जबाब दावा पेशहो जाने के प्श्चात निम्नाकित तनकीयात कायम की गई जो सामिल पत्रावली है ।

तनकी स1,2 इन तनकियो को साबित करने का दायित्व वादिनी का है। वादिनी ने इन तनकियेा को साबित करने हेतु दावे के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिया है कि वादपत्र की खण्ड स0 1व 2 में वर्णित आराजी वादिनी ने दिनांक 22–12–10 को राधेश्याम पुत्रखुनखुन व विरमादेवी पत्नि खुनखुन जाति वैश्य निवासी रूदावल से जरिये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र खरदी कर उसी रोज कब्जा मौके पर ले लिया था तभी से वादिनी मौके पर कब्जा काश्त व हैसियत खातेदार चली आ रही है। मौके पर कब्जा काश्त वादिनी का ही है। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। प्रतिवादीगण ने मौके पर पहुचकर वादिनी को दिनांक 17.6.11 को बेदखल करने की धमकी दी हैं अतः वादिनी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाइ निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी हैं इतः इन तनकीयो का निर्णय वादिनी के पक्ष में किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

पैरोकार सरकार द्वारा उक्त तर्को का ,खण्डन करते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा न0 250,252 बाके ग्राम रूदावल में स्थित है। पूर्व से ही राज सरकार की सम्पत्ति है। वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दज्र है। लेकिन कब्जा मौके के खिलॉ फ है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोंकन किया व योग्य अभिभाशक की बहस पर मनन किया । वादिनी ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि मौके पर वादिनी का कब्जा काश्त हों अतः इन तनकियो का निर्णय खिलाफ वादिनी किया जाता है।

तनकी स03– इस तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण का हे। प्रतिवादीगण ने इस तनको को रिकार्ड से साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

पत्रावली आज राजस्व अभियान कोर्ट कैम्प रूदावल में प्रस्तुत हुई । पूर्व सुनयोजित प्रौग्राम के अनुसार सूचित किया गया । पक्षकारान उपस्थित आये ।पक्षकारान को सुना गया एव राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादिनी अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रही है। अतः दावा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि वादिनी का दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम हो ।

निर्णय राजस्व कोर्ट कैंम्प रूदावल में सुनाया गया ।

15/5/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)